न्यायालय—उपजिलाधीश लालसोट, जिला—दौसा (राज0)

राजस्व वाद संख्याः— 10/21 : दिनांक रजू 22—02—2021

पीठ़ाशीन अधिकारी : श्री गोपाल जांगिड़, आर. ए. एस.
उपजिलाधीश लालसोट

घासी पुत्र रघुनाथ उम्र करीब 62 वर्ष, जाति बैरवा निवासी पट्टी किशोरपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम्

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 लालसोट जिला—दौसा (राज0)

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती
(दफा—136 एल.आर.एक्ट)

निर्णय दिनांक 7/5/21

उपस्थितः—श्री सीताराम शर्मा एड़वोकेट— प्रार्थी की ओर से

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0नं0 143/50 रकबा 2 बीघा वाकै ग्राम पट्टी किशोरपुरा के राजस्व रिकार्ड में लिपीकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी के नाम घासी के स्थान पर घीस्या व पिता के नाम रघुनाथ के स्थान पर रूगनाथ अशुद्ध अंकन हो गया जो कि एक सामान्य अशुद्धि हैं। जबकि प्रार्थी के अन्य सम्पूर्ण दस्तावेजात में सही घासी पुत्र रघुनाथ शुद्ध अंकन हो रहा है। जिससे प्रार्थी हर सरकारी सुविधा से वंचित हो रहा हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जारी होकर प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात सरपंच प्रमाणीकरण व सहखातेदारान के शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.

करने पर स्पष्ट प्रतीत हैं कि प्रार्थी व उसके पिता के नाम में मात्र ग्रामीण एरिया के हिसाब से मात्राओ की ही अशुद्धि हैं जो कि एक सामान्य लिपिकीय त्रुटि हैं। जिस बाबत् राजस्थान सरकार द्वारा भी राजस्व (ग्रुप 6) विभाग द्वारा क 4 (1) 6/2002/19 को ही दिनांक 30-04-2003 को एक पत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टरो को भी यह आदेशित किया गया था कि भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 136 एवं भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 के तहत अभिलेख में काश्तकार के गैर सम्मान सूचक नाम संबंधी त्रुटियो को दुरुस्त किया जाना चाहिये। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं सरकार द्वारा जारी प्रपत्र का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी के हक में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेशित किया जाता हैं कि आराजी ख0नं0 143/50 रकबा 2 बीघा भूमि वाकै ग्राम पट्टी किशोरपुरा तहसील लालसोट में स्थित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व पिता का नाम घीस्या पुत्र रूगनाथ के अशुद्ध अंकन को लोपित किया जाकर उसके स्थान पर घासी पुत्र रघुनाथ बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इस आशय का अंकन करे। तदानुसार पालनार्थ तहरीर जारी हो।

अतः आज दिनांक 8/4/2021 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोपाल [illegible] , आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपजिलाधीश, लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज.